

कार्यालय ,

☆ कार्यालय आदेश ☆

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-...../...../डीपीसी/चयन/पदस्थापन-2019-20/..... दिनांक व राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार श्री व्याख्याता (.....) से प्रधानाचार्य (स्कूल शिक्षा) के पद पर चयनित कर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन में किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम 2017 के अनुसार सातवे वेतनमान की पै मेट्रिक लेवल-..... से लेवल-.....में निम्नानुसार वेतन नियतन किया जाता है -

क्र. स.	नाम कार्मिक व पद	प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) में देय वेतन		प्रधानाचार्य (स्कूल शिक्षा) पद पर कार्यग्रहण तिथि	प्रधानाचार्य (स्कूल शिक्षा) में वेतन निर्धारण पश्चात् देय वेतन			आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	वि.वि.
		पै मेट्रिक्स लेवल	वेतन		देय तिथि	लेवल	नियत वेतन		
1	श्री प्रधानाचार्य (स्कूल शिक्षा)	L-				L-		01-07-19	

आहरण वितरण अधिकारी

.....

क्रमांक :- शिविरा/...../...../संस्था/लेखा/2019-20/
प्रतिलिपि

दिनांक :-

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा,
3. श्रीमान कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी -
4. सम्बन्धित कार्मिक श्री
5. लेखा शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।

आहरण वितरण अधिकारी

.....